संकल्प सं०–5/न०वि०/ परामर्शी –05/2016–..............

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

राँची, दिनांक–................

विषयः राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कराये जाने हेतु जुडको लि०, राँची द्वारा चयनित परामर्शी को एकरारनामा के अनुसार परामर्शी शुल्क का भुगतान चरणबद्ध क्रम में आवंटित राशि से करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु Vide NIT No. UDD/DMA/EoC/2015-16, dated 06.08.15 के द्वारा नियमानुसार विहित प्रक्रिया के तहत् परामर्शी संस्थानों को सूचिबद्ध किया गया है।

2. सूचीबद्ध परामर्शी संस्थानों से राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित की जानेवाली विभिन्न योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराये जाने के निमित्त निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा योजनावार परामर्शी संस्थानों का चयन करते हुए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराये जाने का दायित्व झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, राँची (JUIDCO Ltd.) को सौंपा गया है।

3. नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के स्तर से सौंपे गये दायित्व के आलोक में जुडको लि० द्वारा विभिन्न योजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराये जाने हेतु चयनित परामर्शी के साथ एकरारनामा करते हुए परामर्शी को कार्य आवंटित किया गया है।

4. विभिन्न योजनाओं के लिए भिन्न–भिन्न परामर्शी संस्थानों के साथ किये गये एकरारनामा में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु विभिन्न चरणों में कार्य को निर्धारित करते हुए चरणबद्ध क्रम से कुल योजना लागत का प्रतिशत में परामर्शी शुल्क निर्धारित किया गया है। जुडको लि० द्वारा परामर्शी से किये गये एकरारनामा के अनुसार परामर्शी शुल्क का भुगतान विभिन्न चरणों एवं समयावधि में समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार किया जाना है, जिसका स्वरूप सामान्यतः निम्नवत् होता है :–

SN	Activities	Duration (From the date of award of work)	Payment after approval (in %)
1	Preparation and submission of Feasibility Report	4 Week	30%
2	Preparation and submission of Draft DPR	7 Week	40%
3	Preparation and submission of Final DPR from UDD/GoJ/GoI	10 Week	30%
	Total Payment		100 %

5. उक्त विवरणी से यह स्पष्ट है कि परामर्शी को विभिन्न चरणों में परामर्शी शुल्क का भुगतान किया जाना है। किसी योजना विशेष के लिए प्रारंभ में योजना लागत अंतिम रूप से निर्धारित नहीं होने के कारण भुगतेय कुल परामर्शी शुल्क का अनुमोदन प्राप्त किये जाने में कठिनाई है।

6. उक्त के आलोक में जुडको लि०, राँची को नगरीय प्रशासन निदेशालय एवं विभाग स्तर से सौंपे गये दायित्व के आलोक में विभिन्न योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कराये जाने के निमित्त चयनित परामर्शी को एकरारनामा के अनुसार परामर्शी शुल्क का भुगतान चरणबद्ध क्रम में किये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि से व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. चयनित परामर्शी को परामर्शी शुल्क का भुगतान नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जुडको लि०, राँची को विभिन्न वित्तीय वर्षों में निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत आवंटित राशि से किया जाएगा :–

प्रक्षेत्र	बजट शीर्ष
TSP	मांग संख्या–48–नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के अधीन मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उपमुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–38–शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहायय अनुदान– विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–48P221780796380679
OSP	मांग संख्या–48–नगर विकास एवं आवास विभाग(नगर विकास प्रभाग) के अधीन मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास– उपमुख्यशीर्ष– 80–सामान्य–लघुशीर्ष–191–नगर निगमों को सहायता–उपशीर्ष–38–शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहायय अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–48P221780191380679

S.O. JUIDCO (Format)_15

8. जुडको लि० द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कराये जाने के निमित्त परामर्शी को भुगतान की गई राशि का संदर्भित योजना की लागत राशि निर्धारण के पश्चात् कुल भुगतेय परामर्शी शुल्क की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। इस क्रम में पूर्व में भुगतान की गई राशि का सामंजन सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

9. जुडको लि०, राँची द्वारा उक्त आदेश के क्रम में विभाग स्तर से प्राप्त परामर्शी शुल्क के विरूद्ध परामर्शी को किये गये भुगतान की विवरणी योजनावार परामर्शी संस्था के नाम के साथ प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक में अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

10. जुडको लि०, राँची को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराये जाने में परामर्शी को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु एजेन्सी शुल्क के रूप में भुगतेय परामर्शी शुल्क का 10% शुल्क देय होगा।

11. चयनित परामर्शी को परामर्शी शुल्क का भुगतान परामर्शी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाता में RTGS के माध्यम से किया जाएगा।

12. जुडको लि०, राँची को निदेशित किया जाता है कि परामर्शी को आवंटित राशि का लेखा संधारण नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

13. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों की जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. संदर्भित प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

विश्वासभाजन

20.6.16

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/न०वि०/ **परामर्शी** –05/2016–3300, दिनांक– 20/06/16

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.6.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/न०वि०/ **परामर्शी** –05/2016–3300, दिनांक– 20/06/16

प्रतिलिपिः– महालेखाकार का कार्यालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, जुडको के विशेष कार्य पदाधिकारी/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के आप्त सचिव/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/संयुक्त सचिव/अवर सचिव, योजना शाखा एवं बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/परियोजना निदेशक (तकनीकी/प्रशासनिक/वित्तीय) एवं प्रभारी लेखा शाखा, जुडको लि०, राँची/ श्री कुणाल, आई.टी. विशेषज्ञ (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.6.16

20.6.16

सरकार के प्रधान सचिव।